



हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार)



यदि आप शहरी अकुशल मजदूर हैं और आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो इस योजनांतर्गत आप:

निःशुल्क जॉब कार्ड

एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी

काम की मांग के 15 दिनों के अन्दर अपने निकाय क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

शहरी अकुशल मजदूरों द्वारा किये जाने वाले काम

- अमृत योजना के तहत आधारभूत संरचना का निर्माण
- सड़क निर्माण कार्य
- नाली निर्माण कार्य
- वृक्षारोपण
- पार्क सौन्दर्यीकरण का कार्य
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता का कार्य
- नदी तालाब सौन्दर्यीकरण का कार्य
- प्रधानमंत्री आवास शहरी के तहत भवन निर्माण का कार्य
- वर्षा जल संचयन निर्माण कार्य
- अन्य विभागों द्वारा निकाय क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं का कार्य आदि।

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत निःशुल्क जॉब कार्ड
निम्न माध्यम से बनवायें

- प्रज्ञा केन्द्र से
- स्वयं के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
- सी.आर.पी. दीदी को लिखित आवेदन देकर
- निकाय कार्यालय में लिखित आवेदन देकर



अपना मास्क सही से लगाना है,
कोरोना को हराना है !



अधिक जानकारी के लिए नगर निकाय कार्यालय से संपर्क करें या msy.jharkhand.gov.in या टोल फ्री नं. **1800-120-2929** पर संपर्क करें
नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी...